कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / गौतमबुद्धनगर

पत्रांक / मान्यता./ 3087 /2014–15 दिनांक 24.12.14

प्रबन्धक

सैन्ट हुड कॉन्वेन्ट स्कूल, दादरी

विकास खण्ड दादरी, जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय– निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम – 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के नियम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण – पत्र ।

महोदय / महोदया,

आपके तारीख 14.08.2014 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से मैं उपरोक्त विद्यालय को तारीख 01.07.2015 से तारीख 30.06.2018 तक तीन वर्ष की अवधि के लिए नर्सरी कक्षा से कक्षा आठ तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है –

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है ।
2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम– 2010 (उपाबन्ध 2) के उपबंधो का पालन करेगा ।
3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस – पडौस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा ।
4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधो के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियां प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।
5. सोसाईटी / विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता – पिता या सरंक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा ।
6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधो का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा –

i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जायेगा ।

Manager Saint Hood Conven School Vidhya Nagar, Pink City Road Dadri (G.B.Nagar)

Manager Saint Hood Conven School Vidhya Nagar, Pink City Road Dadri (G.B.Nagar)

Principal Saint Hood Convent School Vidhya Nagar, Pink City Road Dadri (G.B.Nagar)

Scanned with CamScanner

ii. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्ययीन नहीं किया जायेगा ।

iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जायेगी ।

iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा ।

v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा ।

vi. अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास अस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएँ नहीं है पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेगें ।

vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24 (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों को पालन करता है और

vii. अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेगें ।

7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठयक्रम का पालन करेगा ।

8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयों के मानकों और सनियमों को बनाये रखेगा । अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैः–

विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल	6500 वर्ग मी0
कुल निर्मित क्षेत्रफल	2000 वर्ग मी0
क्रीड़ास्थल का क्षेत्रफल	शेष क्रीडा स्थल
कक्षों की संख्या	25
प्राध्यापक – सहकार्यालय – सहभंडागार के लिये कक्ष	03
बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय	उपलब्ध है ।
पेयजल सुविधा	उपलब्ध है ।
मिड – डे मील पकाने के लिए रसोई	उपलब्ध हैं ।
बाधारहित पहुँच	है ।

अध्यापन पठन सामग्री / कीडा खेलकूल उपस्करों / पुस्तकालय की उपलब्धता है ।

9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलायी जायेगीं ।

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या क्रीडा–स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिये किया जायेगा ।

Manager
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

Scanned with CamScanner

11. विद्यालय को सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है ।

12. स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है ।

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड अकाउंटेट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित–लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए ।

14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक है । कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करे ।

15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत् अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये ।

16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र / छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करे।

17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

Manager
Saint Hood Convent School
Dadri (G.B.Nagar)-203207

Manager
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

Manager
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

Scanned with CamScanner

Ph. : 9310878723

SAINTHOOD CONVENT SCHOOL

(Running under society)

(Sainthood Shiksha Prasaar Samiti)

Vidhya Nagar, Pink City Road, Dadri, Gautam Budh Nagar (U.P.)

Ref. No.

Dated : 27-01-2017

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
गौतमबुद्धनगर

महोदय,

निवेदन है कि आपके कार्यालय के पत्रांक 3087 दिनॉक 24– 12 – 14 के द्वारा विद्यालय को कक्षा 8 तक मान्यता प्रदान की गयी है । क्षेत्रीय लोगों की मांग व बच्चों को सेकेन्डरी स्तर की शिक्षा देने हेतु विद्यालय द्वारा सी0 बी0 एस0 ई0 दिल्ली से सेकेन्डरी स्तर की सम्बद्धता प्राप्त करने के लिए आवेदन किया जा चुका है । आपको सूचनार्थ प्रेषित ।

धन्यवाद

प्रबन्धक
सेन्ट हुड कॉन्वेन्ट स्कूल
दादरी, गौतमबुद्धनगर

23/1/17

Manager
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B.Nagar)

Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

Scanned with CamScanner

संख्या–419/79–6–2013–18(20)/91

प्रेषक,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,
शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उत्तर प्रदेश।

शिक्षा अनुभाग–6 लखनऊ दिनाँक: 08 मई, 2013

विषय: अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक (जूनियर हाईस्कूल) अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों की मान्यता दिये जाने सम्बन्धी संशोधित मानक एवं शर्तें।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–437/79–6–2011 दिनांक 19 मई, 2011 एवं आपके पत्र दिनांक 15–12–2012, दिनांक 12–02–2013 एवं दिनांक 30–04–2013 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 एवं तदनुक्रम में राज्य सरकार द्वारा पारित शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 में विहित प्राविधानों तथा इस सम्बन्ध में समय–समय पर मा0 उच्चतम् न्यायालय एवं मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों को दृष्टिगत् रखते हुए सम्यक् विचारोपरान्त पूर्व में विद्यालयों की मान्यता सम्बन्धी नियमों एवं विभागीय निर्देशों को अतिक्रमित करते हुए श्री राज्यपाल अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देने वाले अशासकीय नर्सरी/प्राथमिक (प्राइमरी)/उच्च प्राथमिक विद्यालय (जूनियर हाईस्कूल) को अस्थायी/स्थायी मान्यता प्रदान किये जाने हेतु निम्नलिखित मानकों एवं शर्तों के निर्धारण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

(1) इस आदेश के निर्गत होने के उपरान्त निर्धारित मानक एवं शर्तों को पूर्ण करने वाले विद्यालयों को ही मान्यता प्रदान की जायेगी।
(2) पूर्व से मान्यता प्राप्त विद्यालय भी इन संशोधित मानक/शर्तों को उ0प्र0 निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली–2011 लागू होने की तिथि से 03 वर्ष में अपने आर्थिक स्रोतों से पूरा करने हेतु आवश्यक कदम उठायेंगे अन्यथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा मान्यता प्रत्याहरित करने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। मान्यता प्रत्याहरण के उपरान्त इस प्रकार का विद्यालय किसी भी दशा में संचालित नहीं किया जायेगा।
(3) विद्यालय में अग्नि शमन यंत्र मानक के अनुसार स्थापित कराया जाना होगा।

Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Pink City Road
Dadri (G.B. Nagar)

Manager
Saint Hood Convent School
Dadri (G.B. Nagar) 203207

Scanned with CamScanner

(14) मूल अधिनियम–2009 एवं अधिनियम–2012 की धारा–1ए(4) के द्वारा किये गये संशोधन असहायता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों पर लागू नहीं होंगे।

(15) प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूरी होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थायी मान्यता प्राप्त हो गयी है।

कृपया उक्त मानकों / शर्तों का कड़ाई से अनुपालन किया जाये।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(सुनील कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. अपर शिक्षा निदेशक (बे0), उत्तर प्रदेश, शिक्षा निदेशालय, इलाहाबाद।
4. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
5. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
7. शिक्षा विभाग के समस्त अधिकारी / अनुभाग।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
8/5/13
(ममता श्रीवास्तव)
संयुक्त सचिव।

Manager
Saint Hood Convent School
Dadri (G.B.Nagar)-203207

Principal
Saint Hood Convent School
Vidhya Nagar, Bank City Road
Dadri (G.B. Nagar)

GO BP

Scanned with CamScanner